मधुकवर बनाम गोरधन व०
वाद सं0 117/2014

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 117/2014 पुराना, 59/2023नया दायर तारीख :– 29.04.14

मधुकवर पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 81 जे0पी0 कालोनी नया खेडा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. गोरधन पुत्र भूरा
2. सावरमल पुत्र प्रभुदयाल
3. गोपाल पुत्र सुजाराम
4. विमला देवी पत्नी गोपाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ईटावा जुनसिया पटवार हल्का लालासर

5. तहसीलदारजी रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल
6. रामदयाल पुत्र बद्रीनारायण जाति अहीर निवासी कानरपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर फौत

6/1.नर्बदा देवी पत्नी रामदयाल

6/2 श्रवणलाल पुत्र रामदयाल

6/3 गजानन्द पुत्र रामदयाल

समस्त जाति अहीर (यादव) निवासीयान कानरपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मुकेश बगडिया अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 15/09/25

1. वादीया ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा , खसरा नम्बर 195/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम जुनसिया पटवार क्षेत्र लालासर तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जो कि विवादित है। वर्तमान में उक्त विवादित आराजी की खातेदारी वादनी के 1/4 प्रतिवादी नम्बर 1 के 1/4 एंवम प्रतिवादी नम्बर 2 के 4/15, प्रतिवादी नम्बर 3 के 1/6 व प्रतिवादी संख्या 4 के 1/15 हिस्सा से रिकोर्ड माल में दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई रिकोर्डेडेड बंटवारा नहीं हो रखा है। लेकिन पक्षकारान सहमति के आधार पर अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जे काश्त है रोड साइड पर भी आने जाने की पूर्ण रूप से सुविधा मौजूद है। वादनी एक महिला है एंवम जयपुर में रहती है। कास्त हेतु जमीन पर हाली रख रखे है। दिनांक 22.04.14 को वादनी के हाली ने फोन पर बताया कि प्रतिवादीगण अजनबी खरीददार को लेकर मौके पर आये एंवम रोड साईड की जमीन बेचने के लिए दिखाई हाली द्वारा फोन पर सूचना मिलने पर वादनी अपने पति के साथ खातेदारी की कृषि भूमि पर गई हाली द्वारा बताई गई बात बाबत पूछा तो तो प्रतिवादीगण ने अजनबी क्रेता को जमीन बेचने के लिए रोड साईड की अच्छी जमीन दिखाना स्वीकार किया। इस पर वादनी ने बगैर तकासमा किये बेचान करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने झगडा किया एंवम ऐलानिया कहा कि बगैर तकासमें के रोड साईड की जमीन बेच देगें एवम वादनी के लिए आने जाने का रास्ता भी नहीं छोडगें इसलिए वाद तकासमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा करना आवश्यक हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 4, 6/1 से 6/3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार सरकार है।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी पेश की।
4. प्रकरण दिनांक 25.07.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस वादीगण व पैरोकार सरकार को सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। दौराने बहस वादी की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

वादीया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादीया को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।

वाकै ग्राम जूनसिया तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	मधुकवर पत्नी देवेन्द्र सिंह हि0 1/4 जाति राजपूत प्लाट नम्बर 81 जे0पी0 कॉलोनी नया खेडा जयपुर राहिन केनरा बैंक शाखा चौमू रामदयाल पुत्र बद्रीनारायण हि0 3/4 जाति अहीर (यादव) सा0 कानरपुरा तह0 चौमू खातेदार राहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा चौमू	194/2	0.1116	(गै0मु0रास्ता)
		कुल–1	0.1116	
2	मधुकवर पत्नी देवेन्द्र सिंह हिस्सा सम्पूर्ण राहिन केनरा बैंक शाखा चौमू कौम राजपूत स0 प्लाट नम्बर 81 जे0पी0 कॉलोनी नया खेडा जयपुर खातेदार	194/3	0.4880	बारानी–1
		195/1/2	0.6063	बारानी–1
		कुल–2	1.0943	
3	रामदयाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा सम्पूर्ण राहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0शाखा चौमू जाति अहीर सा0 कानरपुरा तह0 चौमू खातेदार	194/1	1.0063	बारानी–1
		195/1/1	2.2768	बारानी–1
		कुल–2	3.2831	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी

मधुकचर बनाम गोरधर वगै0
वाद सं0 117/2014

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/09/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सर्वेश शर्मा)आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ-रेनवाल
सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

बइजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

मधुकवर पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 81 जे0पी0 कालोनी नया खेडा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. गोरधन पुत्र भूरा
2. सावरमल पुत्र प्रभुदयाल
3. गोपाल पुत्र सुजाराम
4. विमला देवी पत्नी गोपाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ईटावा जुनसिया पटवार हल्का लालासर

5. तहसीलदारजी रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल
6. रामदयाल पुत्र बद्रीनारायण जाति अहीर निवासी कानरपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर फौत

6/1.नर्बदा देवी पत्नी रामदयाल
6/2 श्रवणलाल पुत्र रामदयाल
6/3 गजानन्द पुत्र रामदयाल

समस्त जाति अहीर (यादव) निवासीयान कानरपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

वाद बाबत तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 117/2014 पुराना, 59/2023 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश बगडिया मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान.................. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाकै ग्राम जूनसिया तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित शामलात भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादीया को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे। कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	मधुकवर पत्नी देवेन्द्र सिंह हि0 1/4 जाति राजपूत प्लाट नम्बर 81 जे0पी0 कॉलोनी नया खेडा जयपुर राहिन केनरा बैंक शाखा चौमू रामदयाल पुत्र बद्रीनारायण हि0 3/4 जाति अहीर (यादव) सा0 कानरपुरा तह0 चौमू खातेदार राहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा चौमू	194/2	0.1116	(गै0मु0रास्ता)
		कुल–1	0.1116	
2	मधुकवर पत्नी देवेन्द्र सिंह हिस्सा सम्पूर्ण राहिन केनरा बैंक शाखा चौमू कौम राजपूत स0 प्लाट नम्बर 81 जे0पी0 कॉलोनी नया खेडा जयपुर खातेदार	194/3	0.4880	बारानी–1
		195/1/2	0.6063	बारानी–1
		कुल–2	1.0943	

उपखण्ड अधिकारी

3	रामदयाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा सम्पूर्ण राहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0शाखा चौमू जाति अहीर सा0 कानरपुरा तह0 चौमू खातेदार	194/1 195/1/1	1.0063 2.2768	बारानी–1 बारानी–1
		कुल–2	3.2831	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान व अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करें पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 15/09/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।